




**A SPECIAL DRIVE PROGRAMME
ON
REGISTRATION OF ANTIQUITY
ACCORDING TO
ANTIQUITIES AND ART TREASURES ACT, 1972**



**ORGANISED BY:
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
KOLKATA CIRCLE**

C.G.O. COMPLEX, 4TH FLOOR, SECTOR-I, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700064



प्रत्नकीर्तिमपावृणु

'AWARENESS PROGRAMME' AND PHOTO EXHIBITION



on

Registration of Antiquities & Art Treasure

Organised by :

**Archaeological Survey of India, Kolkata Circle,
Ministry of Culture, Government of India**

From 13th September to 28th September, 2019



प्रत्येक कर्मसूची

“सचेतन कर्मसूची ও আলোক চিত্র প্রদর্শন”



বিষয় : “প্রাচীন নিদর্শন ও শিল্পকলাদি নিবন্ধকরণ

ব্যবস্থাপনায় : ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, কোলকাতা মন্ডল

সময়কাল : ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯

Size: 8 cm (w) × 8 cm (h)



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
Kolkata Circle, C.G.O. Complex, 4th Floor, Sector-1
Salt Lake City, Kolkata – 700064

PUBLIC NOTICE

A special drive programme will be organised by the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture to promote the Registration of Antiquities under the Antiquities & Art Treasure Act 1972 & 1973 Rule to make awareness to the public in large to understand the importance of antiquities and the methods of registration of antiquities. In this regard a photo exhibition and awareness programme from 13.09.2019 to 28.09.2019 will be conducted in Murshidabad, Cooch Bihar, Bishnupur and Kalna. Those who are willing to register their antiquities may contact the Registering Officer, Archaeological Survey of India, Kolkata Circle, CGO Complex, DF Block-4th floor, Sector I, Salt Lake City, Kolkata-64 from 25.09.2019 to 27.09.2019. All are welcome to avail this great opportunity.

Sd/-

Superintending Archaeologist (I/c)
A.S.I., Kolkata Circle
Email: circlekol.asi@gmail.com,
circlekolkata.asi@gov.in
Phone No: 033-23343775



भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
आर्किओलजिकल सर्वे अफ इंडिया
कलकत्ता सर्कल, सि.जि.ओ. कॉम्प्लेक्स, ४थ फ्लोर, सेक्टर-१, सॉल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-७०००६४

विज्ञप्ति

भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय अर्थात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जनसाधारणके प्रतुबन्ध निवर्द्धनकरीते अनुप्राणित करार जना "प्रतुबन्ध ओ शिल्लकनादि आइन १९९२ एवं १९९३"-एर अर्थात् प्रतुबन्धन ओरुद्ध ओ निवर्द्धनकरीते पद्धति विषये सचेतनता कर्मसूचिार व्यावस्था करछे। एहि उपलक्षे १३ई सेप्टेम्बर थेके २८शे सेप्टेम्बर, २०१९ पर्यंत मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, बिरुपुर एवं कालनाते एकटि चित्र प्रदर्शनी ओ सचेतनता कर्मसूचिार व्यावस्था करा हयछे। यैरा प्रतुबन्ध निवर्द्धनकरीते इच्छुक तारा २५शे सेप्टेम्बर थेके २९शे सेप्टेम्बर पर्यंत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणके कलकत्ता मंडलके (सॉल्टलेक, सि.जि.ओ. कॉम्प्लेक्स, डि.एफ.ब्लॉक-४थ फ्लोर) निवर्द्धनकरीते आधिकारिककेर सङ्गे योगायोग करते पारैने। सकलके एहि विशेष सुयोग नेओयार जना स्वागत जानाई।

संज्ञा:-

सुपरिन्टेन्डिंग आर्किओलजिस्ट (भारतप्राप्त)
ए.एस.आई., कलकत्ता सर्कल
Email: circlekol.asi@gmail.com,
circlekolkata.asi@gov.in
Phone No: 033-23343775



भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
कोलकाता मंडल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, ४था तल, सेक्टर-१, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-७०००६४

जनसूचना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम-1972 एवं 1973" के अन्तर्गत पंजीकरण के संदर्भ में जनसामान्य द्वारा अपने "पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृति का महत्व समझने, तथा पंजीकरण करवाने की विधि से अवगत कराने के संदर्भ में "विशिष्ट जागरूकता अभियान" आयोजित होगा। इस संदर्भ में मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, बिरुपुर, और कालना में दिनांक 13.09.2019 से 28.09.2019 तक "चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता अभियान" आयोजित किया जायेगा। जो भी व्यक्ति अपने प्राचीन वस्तुओं का पंजीकरण करवाने के इच्छुक हैं वह दिनांक 25.09.2019 से 27.09.2019 तक कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय, कोलकाता मंडल, सी.जी.ओ. भवन (चौथा तल), ब्लॉक-डीएफ, सेक्टर-१, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-६४ में संपर्क करें। इस सुअवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

ह/

अधीक्षण पुरातत्वविद (प्रभारी),
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता मंडल
Email: circlekol.asi@gmail.com,
circlekolkata.asi@gov.in
Phone No: 033-23343775

12/09/2019